बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–25/2024– /पटना, दिनांक– / /2026

डा० अशोक कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक, इन्दिरा गॉधी हृदय रोग सस्थान, पटना को **दिनांक–12.04.2026 से 20.04.2026** तक की अवधि में विदेश (जापान) की यात्रा के लिए निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० सिन्हा, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से सबधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
3. डा० सिन्हा, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेगे।
4. डा० सिन्हा, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यो के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेगे।
5. डा० सिन्हा, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दड के भागी होंगे।
6. डा० सिन्हा, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/एल 1–25/2024– 381(17) /पटना, दिनांक– 25.03.26

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पटना/डा० अशोक कुमार सिन्हा, सयुक्त निदेशक, इन्दिरा गॉधी हृदय रोग सस्थान, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 23/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roush sir/Passport